निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 29/2023
दायरा दिनांकः–29.09.2023
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

उनवान

1. सीताराम उम्र 60 वर्ष पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छबडा थाना छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. अनसुईया उम्र 35 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनाराण
2. कम्पुरी उम्र 50 वर्ष पुत्री राधाकिशन
3. चन्दी बाई आयु 55 वर्ष पत्नि स्व0 नारायण
4. चिंतामणी उम्र 25 वर्ष पुत्र नारायण
5. दीपा उम्र 35 वर्ष पुत्री नारायण
6. पारी बाई उम्र 38 वर्ष पुत्री राधाकिशन
7. राकेश उम्र 30 वर्ष पुत्र नारायण समस्त जातियान मीणा निवासीगण गणेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 30.9.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अशोक मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम गूगोर तहसील छबड़ा मे खाता संख्या नया 73 खसरा नम्बर 57/1 रकबा 1.5429 है0 अवस्थित है जिसके प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 खातेदार कृषक है प्रार्थी का हिस्सा 1/5 छीतरलाल पुत्र राधाकिशन नाम से दर्ज जमाबंदी है। अप्रार्थीगण 1 अनसूईया का हिस्सा 1/25 कम्पूरी बाई का हिस्सा 1/5 चन्दीबाई का हिस्सा 1/25. चिंतामणी का हिस्सा 1/25 दीपा का हिस्सा 1/25 पारीबाई का हिस्सा 1/5 बुन्दाबाई का हिस्सा 1/5 राकेश का हिस्सा 1/25 दर्ज जमाबन्दी है। और सभी खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। खातेदार बून्दाबाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान एव कायम मुकामान प्रार्थी स्वंय एंव अप्रार्थी कम 2 व अप्रार्थी कम 7 है इसलिए इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी का आधार कार्ड, वोटर परिचय पत्र व सभी राजकीय दस्तावेजात में भी नाम राधाकिशान दर्ज है। जिससे दोनो आराजीयात मे भिन्न नाम दर्ज होने से अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है व राजकीय कार्य फसल बीमा व किसान क्रेडिट कार्ड से भी प्रार्थी को वंचित रहना पड़ता है। नाम दुरस्त बाबत् हल्का पटवारी गूगोर व तहसीलदार छबड़ा को अनेक बार निवेदन करने पर तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

छबडा द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने बाबत् असमर्थता जाहिर करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत प्रदान की गई। अन्तिमबार दिनांक 10/08/2023 को तहसीलदार साहब छबड़ा से मौखिक व लिखित निवेदन करने पर पुनः न्यायालय मे कार्यवाही कर नाम दुरूस्त करवाने की हिदायत प्रदान की गई अब प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 केवल इस प्रार्थना पत्र मे खातेदार कृषक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है अप्रार्थीगण लगायत 7 से प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अनुतोष अपेक्षित नही है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 73 फोटो प्रति जन आधार कार्ड नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 377 नकल जामबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2055–58 फोटो प्रति आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम गुगोर तहसील छबडा में खसरा नम्बर 57/1 रकबा 1.5429 है0 भूमि स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी का हिस्सा 1/5 छीतरलाल पुत्र राधाकिशन के नाम से दर्ज है खातेदार कुंदा बाई की मृत्यु हो चुकी जिनके वारिसान व कायम मुकामान प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 ता 7 है प्रार्थी का नाम सहवन से सीताराम के स्थान पर छीतरलाल पुत्र राधाकिशन दर्ज हो गया है प्रार्थी का एक अन्य खाता संख्या 377 में सही नाम सीताराम पुत्र राधाकिशन दर्ज है परन्तु खाता संख्या 73 में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में व खाता संख्या 377 में सही सीताराम पुत्र राधाकिशन दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम छीतरलाल के स्थान पर सीताराम दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपार्ट में बताया कि प्रार्थी के बारे में ग्रामवासियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ। कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सीताराम ही है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड वोटर आईडी में सीताराम ही नाम है प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित होगा। तहसीलदार छबडा द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत 2075–78 खाता संख्या 73 के अनुसार प्रार्थी का नाम छीतरलाल पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

संख्या 377 में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। फोटो प्रति जन आधार कार्ड आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र राधाकिशन दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम खाता संख्या 73 में गलत दर्ज है तथा खाता संख्या 377 में प्रार्थी का सही नाम सीताराम दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सही दर्ज कराना चाहता है तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थी का नाम छीतरलाल के स्थान पर सीताराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अनुशंषा की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 57/1 रकबा 1.5429 है0 में दर्ज छीतरलाल पुत्र राधाकिशन के स्थान पर सीताराम पुत्र राधाकिशन दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दियें जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा